प्रेस नोट दिनांक 22.07.2026

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त, अमित कुमार सरोज उर्फ अंकित सरोज पुत्र राजेन्द्र सरोज को थाना क्षेत्रान्तर्गत चौरही ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में थाना मानिकपुर के उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह का० राजेश पाल, रि0का0 आशुतोष द्विवेदी व म0 रि० आ० ज्योति मौर्या द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/ 65 (1) बीएनएस व 5 (J) (2)/6 पाक्सो एक्ट थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त, अमित कुमार सरोज उर्फ अंकित सरोज पुत्र राजेन्द्र सरोज निवासी ग्राम धरौली यादव पट्टी थाना मानिकपुर जपनद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत चौरही ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह गाँव की पीड़िता से प्रेम करता था तथा उसे अपने साथ हरियाणा ले जाकर मंदिर में विवाह कर लिया, जहाँ दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रहे। अभियुक्त के अनुसार मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलने पर वह पीड़िता को लेकर वापस आया तथा बाद में उसका बयान कराने के उद्देश्य से उसे चौरही ओवरब्रिज के पास छोड़कर अपने वकील से मिलने चला गया। अभियुक्त के कब्जे से पीड़िता का बताया गया एक चाँदी का पायल बरामद हुआ। उसके पास मिली मोटरसाइकिल के वैध अभिलेख प्रस्तुत न करने पर वाहन को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अमित कुमार सरोज उर्फ अंकित सरोज पुत्र राजेन्द्र सरोज निवासी ग्राम धरौली यादव पट्टी थाना मानिकपुर जपनद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

पुलिस टीम-
उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह का० राजेश पाल, रि0का0 आशुतोष द्विवेदी व म0रि० आ० ज्योति मौर्या थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लीलापुर के उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह हे0का0 अमित कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु०नं०-4907/2015 मु०अ०सं०-377/2004 धारा-147,323,504,506,427,452,436 आईपीसी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 अभियुक्त दिनेश पुत्र राम आसरे निवासी महेशपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 47 वर्ष के थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. दिनेश पुत्र राम आसरे निवासी महेशपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 47 वर्ष ।

पुलिस टीम -
उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह हे0का0 अमित कुमार थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त जयशंकर मौर्या को थाना क्षेत्रान्तर्गत सेमरा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में थाना उदयपुर के उ0नि0 नन्दलाल यादव मय हमराह हे0का0 विनोद कुमार, रि0का0 रोहित यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2)/87/64 (1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त जयशंकर मौर्या पुत्र श्रीराम मौर्या उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम बडी टिकुरिया राजापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत सेमरा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. जयशंकर मौर्या पुत्र श्रीराम मौर्या उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम बडी टिकुरिया राजापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 नन्दलाल यादव मय हमराह हे0का0 विनोद कुमार, रि0का0 रोहित यादव थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा “दहेज हत्या” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त साहिल चौरसिया को किया गया गिरफ्तार-

थाना लालगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बड़ा राजा का पुरवा भोजपुर बरीबोझ उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण–
वादी निवासी ग्राम पूरे गोसाई, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री का विवाह वर्ष 2023 में साहिल चौरसिया के साथ हुआ था, जिसके बाद पति व ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य अतिरिक्त दहेज में ₹03 लाख की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। दिनांक 20.07.2026 को पीड़िता ने फोन कर अपनी जान को खतरा बताया तथा अगले दिन वह ससुराल में मृत अवस्था में मिली। वादी की तहरीर के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 276/26 धारा 80 (2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 07 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 राजू यादव, का0 कैलाश कुमार, का0 दिग्विजय सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 276/26 धारा 80 (2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त 1.साहिल चौरसिया पुत्र सन्तराम चौरसिया नि० ग्राम बड़ा राजा का पुरवा भोजपुर बरीबोझ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बड़ा राजा का पुरवा भोजपुर बरीबोझ उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. साहिल चौरसिया पुत्र सन्तराम चौरसिया नि० ग्राम बड़ा राजा का पुरवा भोजपुर बरीबोझ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 राजू यादव, का0 कैलाश कुमार, का0 दिग्विजय सिंह थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।